185

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 870—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—02—2015 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली के नस्ती कमांक 77/अ—82/2010—11 दिनांक 5.3.15

.....

1— उदयनारायन सिंह पिता स्व0 रजपाल सिंह गोंड़
2— राजेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व0 रजपाल सिंह गोंड़
सभी निवासी ग्राम कटई/निगरी तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—चन्द्रवती सिंह पत्नी करन सिंह गोंड़
निवासी ग्राम बेलगांव तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0
2—तेरसिया गोंड पत्नी राम सिंह गोंड़
निवासी ग्राम बकवा तहसील मझौली
जिला सीधी म0प्र0
3—जगतवती गोंड पत्नी विश्वनाथ सिंह गोंड़
निवासी ग्राम दियाडोल तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0
4—मुन्नी उर्फ प्रेमवती गोंड़ पत्नी प्रकाश सिंह गोंड़
निवासी ग्राम दियाडोल तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0
5—सावित्री गोंड माता स्व0 रिचवुदिया गोंड़ पिता
स्व0 ललन सिंह गोंड पत्नी लालबहादुर सिंह गोंड़
निवासी ग्राम बकवा तहसील मझौली
जिला सीधी म0प्र0

6– प्रबंधक संचालक जे0 पी0 पावर वेन्चर्स
(बैराज निर्माण) निगरी तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0
7– मध्य प्रदेश शासन

–––– अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री बी0 एन त्यागी अभिभाषक, शासन अना0 क–7

.....

आदेश

(आज दिनांक 27/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–2015 एवं 5.3.15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली की आराजी खसरा कमांक 48, 151, 155, 157 रकबा कमशः 0.2, 0.35, 2.11, 0.84, कुल किता 4 कुल रकबा 3.5 है0 के मूल भूमिस्वामी रजपाल सिंह पिता नवल सिंह निवासी कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली थे, मूल भूमिस्वामी रजपाल सिंह के नाम वर्ष 2010–11 में मुआबजा बना था। मूल भूमिस्वामी रजपाल सिंह पिता नवल सिंह की मृत्यु उपरांत उनके वैध वारिसानों की जानकारी तहसीलदार सरई से प्राप्त की गई। तहसीलदार सरई द्वारा वारिसान/नामांतरण मृतक रजपाल सिंह के वारिस कमशः मु0 कुंती सिंह बेवा रजपाल सिंह पुत्रिया कमशः चन्द्रावती, तेरसिया, जगतवती, मुन्नी, पुत्री रजपाल सिंह, रिचबुदिया, पुत्री (फौत) वरिस सावित्री माता रिचबुदिया एवं पुत्र उदय नारायण, राजेन्द्र कुमार सिंह के नाम वारिसाना नामांतरण किया गया तथा इसकी पुष्टि हेतु खसरा पंचशाला एवं किस्तबंदी खतौनी (बी–1) की सत्य प्रतिलिपि सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक /आपत्तिकर्ता द्वारा उदयनारायण सिंह बगैरह के द्वारा एक इस आशय आपत्ति प्रस्तुत की गई कि बहनों को मुआवजे में हिस्सा न दिया जाय उक्त आपत्ति के संबंध में तहसीलदार तहसील सरई से

प्रतिवेदन लिया गया। जिस पर तहसील सरई द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन में सारतः निष्कर्ष में हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में संशोधित धारा–6 के अनुसार मिताक्षरा विधि द्वारा शास्ति संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म से ही पुत्री को पुत्र के बराबर सहदायिक माना गया है, का उल्लेख किया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा न तो किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित होना बताया गया है और न ही सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन होने की जानकारी ही है । वारिसाना नामांतरण हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार सरई द्वारा वारिसाना नामान्तरण भी किया जा चुका है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करने से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली की आराजी खसरा कमांक 48, 151, 155, 157 रकबा कमशः 0.2, 0.35, 2.11, 0.84, कुल किता 4 कुल रकबा 3.5 है0 के मूल भूमिस्वामी रजपाल सिंह पिता नवल सिंह निवासी कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली थे जिन भूमियों को जे0 पी0 पावर वेन्चर्स की ओर से कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की उद्घोषणा कमांक 1758(2) भू अर्जन/11 दिनांक 29.12.2011 को जारी कर मध्यप्रदेश शासन राजपत्र भाग–1 दिनांक 13.01.12 में पृष्ठ कमांक 150 से 151 तक प्रकाशित किया गया तथा अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम में दिनांक 10.01.12 को सूचना प्रकाशित की गई तथा कथित भूमियों का तथा उस पर स्थित पर सम्पत्तियों का बाजार मूल्य के आधार पर जो (कलेक्टर सिंगरौली से अनुमोदित है) का मूल्यांकन किया गया व दिनांक 27.7.12 को रूप्ये 77,42,086/– का चैक भूमिस्वामी रजपाल सिंह के नाम जारी किया गया। रजपाल सिंह ने भूमियों से अपना आधिपत्य नहीं हटाया जिससे कथित भूमियां हितग्राही रजपाल सिंह के नाम से अंकित रही दिनांक 13.4.13 को रजपाल सिंह की अचानक मृत्यु हो गई जिससे ग्राम कटई की आराजियातों का वारिसाना नामांतरण राजस्व अधिकारियों के जांच ग्राम पंचायत के सजरा अनुसार ग्राम कटई के परिवर्तन/भूमिस्वामी नामांतरण पंजी कमांक 4 दिनांक 16.7.14 के अनुसार मृतक रजपाल सिंह गोंड के वारिसान कुन्ती बेवा पत्नी रजपाल सिंह उदयनारायन सिंह राजेन्द्र कुमार सिंह पिता रजपाल सिंह के नाम से वारिसाना नामांतरण स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में इत्तलयाबी दर्ज की गई संशोधित राजस्व अभिलेख तथा भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका

भाग–1 एवं भाग–2 एल कमांक 404865 प्रदान की गई एक मात्र उत्तरवादी कमांक 6 प्रबंध संचालक जे0 पी0 पावर वेन्चर्स (बैराज निर्माण) निगरी जिला सिंगरौली की ओर से हितग्राही रजपाल सिंह के नाम से अधिग्रहीत भूमियों के बावत जारी चैक राशि रूपये 77,42,086/–के बावत वारिस विधवा पत्नी कुन्ती सिंह पुत्रगण उदयनारायन सिंह गोंड व राजेन्द्र कुमार सिंह गोंड के नाम से अंकित होकर चैक की राशि प्राप्त होना था कि इसी दौरान उत्तरवादीगण कमांक –1 ता 5 चन्द्रवती सिंह गोड़, वेरसिया सिंह गोड़ जगतवती सिंह गोंड़ प्रेमवती सिंह गोंड़, रिचवुदिया गोंड़, के जिनका विवाह रजपाल सिंह गोंड़ ने अपने जीवलकाल में ही अपने गोंड़ीय जाति प्रथा के अनुसार अपने हैसियत से विवाह करते हुये ससुराल भेज दिया था जिससे सभी पुत्रियां अपने–अपने ससुराल में रहतीं हैं रजपाल सिंह गोंड के जीवलकाल में ही रिचवुदिया की मृत्यु हो गई थी जिसकी एक मात्र पुत्री संतान सावित्री सिंह गोंड है जो अपने पति के सारथ ग्राम रामपुर तहसील कुसमी जिला सीधी में रहती है रजपाल सिंह गोंड जाति का व्यक्ति है जो मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं जिन पर हिन्दू विधि की धारा 2 (ज) के अन्तर्गत हिन्दू के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की संशोधित धारा 6 के तहत अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) गोंड़ जनजाति में विवाहित व अविवाहित लड़कियों का पिता के चल–अचल संपत्ति में किसी प्रकार से स्वत्व का अन्तरण नहीं होता है पिता की मृत्यु होने के पश्चात मृतक के विधवा तथ पुत्रों के नाम से नामांतरित होने का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों का पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है उत्तरवादिया कमांक 1 ता 5 ने कपटपूर्ण तरीके से सरपंच का फर्जी सील व हस्ताक्षर करते हुये सजरा तैयार कराई है तथा निगरानीकर्तागण के हित के भूमियों व चल संपत्ति उत्तरवादी कमांक 6 के नाम से अधिग्रहीत भूमियों के बावत मिलने वाली राशियों को प्राप्त करने हेतु निगरानीकर्तागण के चोरी छिपे तरीके से उन्हें किसी प्रकार से नोटिस सम्मन सूचना दिये बिना विधि प्रावधानों व साक्ष्य प्रकिया के विपरीत कथित भूमियों में सहभूमिस्वामी के रूप में नाम अंकित किये जानें का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, आवेदन पत्र में निगरानीकर्तागण को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान नहीं किया गया एवं

सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया जिससे यह निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि कलेक्टर सिंगरौली का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मुआवजे की राशि में से पुत्रियों का बराबर हिस्सा है और उनको मुआवेज की राशि मिलना चाहिये । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर कलेक्टर महोदय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक कमांक–7 शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का न0 10 ग्राम कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली की नामांतरण पंजी कमांक 4 आदेश दिनांक 1.7.2014 में सजरा में रजपाल सिंह मृतक के वारिसान मु0 कुन्ती पत्नी, उदयनारायण पुत्र, एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र का नाम अंकित है। तहसीलदार द्वारा टीप अंकित की गई है कि पृविष्ट कमांक 4 पेश। पृविष्टि उपरांत कोई आपत्ति नहीं वारसानों की जांनकारी पटवारी एवं पंचो द्वारा प्रमाणित वारसाना नामांतरण प्रविष्टि प्रमाणित सील दिनांक 16.7.14 लेख किया गया है।

1– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 तथा 110 आदिवासी व्यक्ति की भूमि– पुत्री नामांतरण की मांग नहीं कर सकती – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा–2 (2)

2–हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 2 (2) उपबन्धो का लागू होना –आदिवासी व्यक्तियों को लागू नहीं होते।

राजस्व निर्णय 1985 पेज 266 कलाबाई विरूद्व कैलाश तथा अन्य

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित

जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। उक्त से स्पष्ट है कि कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली ने आदेश दिनांक 25.2.2015 एवं आदेश दिनांक 5.3.2015 में त्रुटिपूर्ण निर्णय लिये है, जिन्हें न्याय की दृष्टि से स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर इससे यह विदित होता है कि गोंड़ जाति में पुत्री को पिता की संपत्ति में हक नहीं होता है। अतएव तहसीलदार द्वारा भी नामांतरण पंजी कमांक 4 में आदेश दिनांक 1.7.14 द्वारा पुत्रियों को सजरा खानदान में शामिल नहीं किया गया है और न ही उनका नामांतरण किया गया है। परिणामस्वरूप आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक नस्ती कमांक 77 /अ–82/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2015 एवं आदेश दिनांक 5.3.15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता हैं।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर